भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3272

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2026

3272. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान का पुरजोर अनुपालन करने के लिए केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के माध्यम से भुगतान न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क की पहचान और वसूली के लिए परिभाषा और तंत्र क्या है;

(ग) भुगतान न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क के निपटान को वाहन संबंधी सेवाओं जैसे अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने, फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण और राष्ट्रीय परमिट जारी करने के साथ किस प्रकार जोड़ा गया है;

(घ) स्वामित्व के अंतरण या वाहनों के प्रवासन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित प्रपत्र 28 में क्या परिवर्तन किए गए हैं और निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के साथ एकीकरण की स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त संशोधनों का टोल अनुपालन, डिजिटल प्रवर्तन और मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग के कार्यान्वयन पर क्या प्रभाव अपेक्षित है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार ने दिनांक 13.01.2026 के सा.का.नि. 28 (अ) के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है।

i. नियम 2 के अंतर्गत, "'भुगतान न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क" की निम्नलिखित परिभाषा सम्मिलित की गई है:

"'(जेडई) 'भुगतान न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क' से तात्पर्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड के उपयोग के लिए मोटर वाहन द्वारा देय प्रयोक्ता शुल्क से है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना ने ऐसे वाहन के गुजरने को दर्ज तो कर लिया है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लगाए गए लागू प्रयोक्ता शुल्क को प्राप्त नहीं किया है।'"

ii. प्रपत्र 28 (आवेदन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना) के अंतर्गत, बकाया प्रयोक्ता शुल्क का विवरण प्रदान करने की एक अतिरिक्त आवश्यकता जोड़ी गई है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय पंजीकरण प्राधिकारी को बकाया प्रयोक्ता शुल्क का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।

iii. नियम 55 (स्वामित्व का हस्तांतरण) के तहत मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में अनापत्ति प्रमाण पत्र (फॉर्म 28 के तहत) प्रदान करने की आवश्यकता अंतः स्थापित की गई है।

iv. नियम 58 (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के तहत एक शर्त जोड़ी गई है जिसके अनुसार पंजीकरण प्राधिकरण तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करेगा जब तक कि आवेदक द्वारा बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

v. नियम 62 (फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आवेदक द्वारा बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान किए जाने तक फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण या सृजन नहीं किया जाएगा।

vi. नियम 90 (राष्ट्रीय परमिट के लिए अतिरिक्त शर्तें) के तहत संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राष्ट्रीय परमिट बकाया प्रयोक्ता शुल्क के भुगतान के अध्यधीन जारी किया जाएगा।

(ङ) केंद्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 के माध्यम से प्रारंभ किए गए उपायों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क के भुगतान में अनुपालन बढ़ाने, टोल और वाहन पंजीकरण डेटाबेस के एकीकरण के माध्यम से डिजिटल प्रवर्तन को सुदृढ़ करने, टोल चोरी को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणालियों की परिचालन दक्षता में सुधार करने की उम्मीद है। इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सहित उन्नत टोलिंग प्रौद्योगिकियों को धीरे-धीरे अपनाने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

*****